

(2)

162

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राधारण सि. ग. 5. कमी वि. कां. विभाग-2. वर्तमान धारित पद 15.12.2020
3. वर्तमान वेतन 66,500 T.P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.03.21

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्योरा | | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्त |
|---|---------------------------|--------|-----------------|---|--|-----------------------|----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| निर्दि | निर्दि | निर्दि | निर्दि | निर्दि | निर्दि | निर्दि | निर्दि |

हस्ताक्षर वि. कां. वि. भा. 2

नाम राधारण सि. ग. 5. कमी वि. कां. विभाग

पद निर्दि

विभाग वि. कां. वि. भा. 2

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की-तय उद्योग उद्यम उद्योग-उद्यमिता उद्योग-उद्यमिता में मिली या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे का ब्योरा देना चाहिए।

शाकेमुभा -2 अस्सप्राप्ति-14-2-2001-5,000.

JA वि. कां. वि. भा. 2 15/12/2020

15/12/2020 167/303/191 19/12/2020